दूध का पूरा उपयोग न किया जाना

3271. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूध के उत्पादन और वितरण में तालमेल के अभाव में दूध का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में दूध का राज्य-वार उत्पादन और मांग कितनी-कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) देश में दूध के कुल उत्पादन में से लगभग 25 प्रतिशत अधिशेष दूध बाजार में उपलब्ध होता है तथा शेष दूध का उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में तरल दूध तथा परम्परागत घरेलू उत्पादों के रूप में किया जाता है। संगठित क्षेत्र की सहकारी डेरियां लगभग 110 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की अधिप्राप्ति करती हैं जो कि बाजार में लाए गए अधिशेष दूध का लगभग 70 प्रतिशत बैठता है। इस दूध के लगभग 80 प्रतिशत का वितरण तरल दूध के रूप में किया जाता है तथा शेष दूध का उपयोग उत्पादनों के रूप में किया जाता है। विपणन योग्य शेष 30 प्रतिशत दूध संगठित निजी क्षेत्र के हिस्से में आता है। दूध के उत्पादन और वितरण के बीच समन्वयन का कोई अभाव नहीं है।

(ग) 1992-93 के दौरान दूध की राज्यवार मांग और उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) देश में दूध का उतपदन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

(1) अपने घरेलू इलाकों में चयनित प्रजनन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के गोपशुओं का अनुवंशिक सुधार तथा अन्य चयनित क्षेत्रों में उनका संतति सुधार;

(2) विदेशी डेयरी नस्लों के साथ विजातीय गोपशुओं का वर्ण-संकरण;

(3) दूध के उत्पादन में सुधार लाने के लिए चयनित प्रजनन द्वारा महत्वपूर्ण भैंसों का अनुवंशिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रों में विजातीय भैंसों का उन्नयन।

(4) आहार और चारा संसाधनों का विकास;

(5) उत्पादन कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन; और

(6) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

विवरण

दूध की राज्य-वार मांग और उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य वार मांग (हजार मी. टन में)	दुग्ध उत्पादन 1992-93 (अनन्तिम) (हजार मी.टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5495	3103
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	42
3.	असम	1864	657
4.	बिहार	7184	3360
5.	गोवा	97	28
6.	गुजरात	3415	3795
7.	हरियाणा	1370	3715
8.	हिमाचल प्रदेश	428	610
9.	जम्मू और कश्मीर	642	600
10.	कर्नाटक	3704	2590
11.	केरल	2390	1889
12.	मध्य प्रदेश	5490	4879
13.	महाराष्ट्र	6530	4102
14.	मणिपुर	153	83
15.	मेघालय	148	52
16.	मिजोरम	58	9
17.	नागालैंड	102	37
18.	उड़ीसा	2618	530
19.	पंजाब	1669	5583
20.	राजस्थान	3658	4570
21.	तमिलनाडु	4558	3468
22.	त्रिपुरा	229	34
23.	उत्तर प्रदेश	11494	10649
24.	पश्चिम बंगाल	5618	3023
25.	सिक्किम	34	30
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	21
27.	चण्डीगढ़	55	37
28.	दादरा और नगर हवेली	12	4
29.	दामन और दिव	8	1
30.	दिल्ली	800	250
31.	लक्ष द्वीप	4	1
32.	पाण्डिचेरी	67	27

टिप्पणी: 220 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन आवश्यकता के आधार पर दुग्ध की राज्यवार अनुमानित मांग।